<u>प्रेस नोट</u>

<u>सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति के निदेशों का दीव जिला में कार्यान्वयन</u>

दीव, 13 अप्रैल-2018.

देश में बढ़ते हुए सड़क हादसों और उसमें होने वाली मृत्यु की संख्याओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा पर बनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने यातायात से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 03 माह के लिए निलंबित किए जाने हेतु निदेश जारी किए हैं ।

इस क्रम में अत्यधिक स्पीड में ड्राइविंग करने, रेड लाइट ट्रॉफिक सिग्नल को पार करने, मालवाहक वाहनों पर ओवर लोडिंग करने, मालवाहक वाहनों से सवारी ढोने, शराब पीकर गाड़ी चलाने एवं गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर वाहन चालक के लाइसेंस न्यूनतम 03 माह तक के लिए निलंबित किए जा सकते हैं तथा लाइसेंस धारक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आज इस संबंध में दीव जिला के परिवहन उप निदेशक डॉ. अपूर्व शर्मा द्वारा एक आदेश जारी किया गया और कहा गया दीव पुलिस दीव जिला में उक्त यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियम उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस जब्त करे तथा उसे निलंबित करने हेतु अपर निदेशक (परिवहन) को भेजें । आदेश में वाहन चालकों को भी उक्त नियमों पर ध्यान देने और उनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु हिदायत दी गई ।